Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 140-2017/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 9 अगस्त, 2017
(17 श्रावण, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग—II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 12/संवि/अनु0309/2017, दिनांक 9 अगस्त, 2017 – हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	589–606
भाग—IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अगस्त, 2017

संख्या सा०का०नि० 12/संवि०/अनु०309/2017.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सहायताप्राप्त विद्यालयों से सहयोजित और हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियमों में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,— परिभाषाएं।

   (क) "सहायताप्राप्त विद्यालय" से अभिप्राय है, कोई मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 के नियम 54 के अधीन सरकार से अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रहा है ;

   (ख) "नियुक्ति प्राधिकारी", "आदेश करने वाला शसक्त प्राधिकारी," तथा "अपील प्राधिकारी," से अभिप्राय है, अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए निम्नलिखित सेवा नियमों के अधीन विहित नियुक्ति प्राधि**कारी,** आदेश करने वाला शसक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, अर्थात्:—

      (i) हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012 ;

      (ii) मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012 ;

      (iii) हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2012 ;

      (iv) मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2012 ;

      (v) हरियाणा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) जिला संवर्ग सेवा नियम, 2012 ;

      (vi) हरियाणा राज्य शिक्षा विभाग लिपिक संवर्ग (क्षेत्रीय कार्यालयों) (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1983;

      (vii) हरियाणा राज्य माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालयों (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998 ;

   (ग) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, किसी सहायता प्राप्त विद्यालय में स्वीकृत पद पर कार्यरत, कर्मचारी ;

   (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

   (ङ) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, प्रधान सचिव अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, जैसी भी स्थिति हो, विद्यालय शिक्षा विभाग;

   (च) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

   (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन सहायताप्राप्त विद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा चुनी गई राज्य स्वैच्छिक शिक्षा सेवा।

3. (1) स्वैच्छिक शिक्षा सेवा की संरचना/सेवा अनुसूची के खाना 2 में यथा विनिर्दिष्ट पदों से गठित होगी तथा घटते संवर्ग के रूप में प्रत्येक प्रवर्ग के लिए, पृथक संवर्ग गठित होगा। सेवा की संरचना तथा संख्या।

   (2) सेवा में पदों की संख्या ऐसी होगी जो समय—समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

4. (1) किसी सहायताप्राप्त विद्यालय में स्वीकृत पद पर नियमित हैसियत में नियुक्त और कार्यरत कोई कर्मचारी इन नियमों के अधीन नियुक्ति प्राप्त करना चाहता है, फार्म—I में आवेदन पत्र सम्बन्ध नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रिम प्रति सहित सम्बन्धित सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/प्रबन्धक को प्रस्तुत करेगा। ऐसा आवेदन इन नियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के एक मास के भीतर किया जाएगा। इस संबंध में एक बार में दिया गया विकल्प अंतिम होगा तथा किसी भी स्तर पर किसी भी परिस्थिति में बदलने की अनुमति नहीं होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया

(2) सम्बन्धित सहायताप्राप्त विद्यालय के अध्यक्ष/प्रबन्धक प्रारूप–II में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उप नियम (1) में किये गये आवेदन के तथ्यों का व्यक्तिगत रूप में सत्यापन स्वयं करेगा तथा सम्यक रूप से सत्यापित आवेदन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला को अग्रेषित किया जायेगा।

(3) सेवा में नीचे दिए गए पदों के प्रवर्गों में नियुक्ति हेतु कर्मचारियों की उपयुक्तता निम्नलिखित छानबीन समितियों द्वारा निर्धारित की जायेगी:–

(क) प्राचार्यों तथा मुख्याध्यापकों के पद के लिये,–

हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सदस्य की पदवी से नीचे का न हो।	अध्यक्ष
प्रशासकीय सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो अवर सचिव की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सहायक निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो।	सदस्य सचिव

(ख) पी॰जी॰टी॰/प्राध्यापकों के पद के लिये,–

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सदस्य की पदवी से नीचे का न हो।	अध्यक्ष
प्रशासकीय सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो अवर सचिव की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सहायक निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो।	सदस्य सचिव

(ग) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (टी0जी0टी0)/मास्टरों, शास्त्रीय तथा स्थानीय भाषा शिक्षकों (सी0एण्डवी0), जे॰बी॰टी॰ अध्यापकों अथवा अध्यापकों के पदों के लिये,–

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सदस्य की पदवी से नीचे का न हो।	अध्यक्ष
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सहायक निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मौलिक शिक्षा हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो	सदस्य सचिव
संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक), मौलिक शिक्षा, हरियाणा	सदस्य

(घ) लिपिकों, प्रयोगशाला परिचारकों, चपड़ासियों तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये,–

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सदस्य की पदवी से नीचे का न हो।	अध्यक्ष
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट जो सहायक निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो।	सदस्य सचिव
अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मौलिक शिक्षा हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो।	सदस्य

(4) उपरोक्त समितियां कर्मचारियों की उपयुक्तता निर्धारित करने उपरांत उपयुक्त कर्मचारियों के नामों की सिफारिश, इन नियमों के अधीन नियुक्ति हेतु संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को करेंगी।

5. (1) इन नियमों के अधीन नियुक्ति, उस पद के न्यूनतम् वेतनमान पर नई नियुक्ति की जाएगी। तथापि, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गये कर्मचारी का वेतन व्यक्तिगत उपाय के रूप में संरक्षित किया जायेगा। पूर्व में की गई सेवा की गणना अन्य किसी उद्देश्य तथा प्रयोजन हेतु नहीं की जायेगी। — नियुक्ति के नियम तथा शर्तें।

(2) इन नियमों के अधीन नये नियुक्त किए गये कर्मचारी सेवानिवृति की आयु तक किसी भी पदोन्नति के लिये हकदार नहीं होंगे।

(3) इन नियमों के अधीन कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसार पेंशन के हकदार नहीं होंगे। तथापि, इस प्रकार नियुक्त कर्मचारी पेंशन प्रयोजन के लिए हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालयों (विशेष पेंशन तथा अंशदायी भविष्यनिधि) नियम, 2001 के अधीन शास्ति किए जाते रहेंगे, जिनकी नियुक्ति प्रथम जनवरी, 2006 से पूर्व हुई हो तथा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति प्रथम जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद हुई हो तथा सेवा नियुक्ति किए गये हैं वे राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एन॰पी॰एस॰) द्वारा शास्ति होंगे।

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्ति कर्मचारी सी0पी0पी0/एन0पी0एस0 की ओर अंशदान ब्याज सहित उक्त विद्यालय में की गई सेवा के लिए सम्बद्ध सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबन्धन द्वारा भुगतान किए जाने के लिए दायी राशि का हकदार होगा।

(5) कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के बकाया सेवा में नियुक्ति तिथि से पूर्व की अवधि के लिए सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।

(6) विद्यालय में शेष स्वीकृत पदों जिनपर पदधारी कार्यरत हैं, के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम–2003 के नियम 54 में किये गये उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ती जारी रहेगी।

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी का अवकाश खाता शून्य शेष से शुरू होगा।

(8) सभी अन्य मामले, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से वर्जित नहीं है, हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 और पंजाब वित्तीय नियम जोकि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों पर लागू है और प्राधिकारी भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाए गये तत्समय लागू किसी विधि के अधीन बनाये गये ऐसे नियमों या विनियमों जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाए गये हैं या अपनाए जाने हैं द्वारा शास्ति होंगे।

(9) सेवा ग्रहण करने का इच्छुक कर्मचारी फार्म– ।।। में एक शपथ पत्र कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

6. (i) सेवा में नियुक्त कर्मचारी के सम्बन्ध में इन नियमों के अधीन नियुक्ति की तिथि से पूर्व की अवधि के सभी दायित्वों की मुक्ति के लिए, प्रबंधन बाध्य होंगे। सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति मात्र से प्रबन्धन उनकी लम्बित देयों के भुगतान की जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं होंगे। अधिगृहीत किए जाने वाले कर्मचारी पूर्व प्रबंधन से उनके द्वारा पूर्व में की गई सेवा का बकाया देय क्लेम करने के सभी अधिकार होंगे। — सहायताप्राप्त विद्यालय के प्रबन्धन के दायित्व।

(ii) प्रबन्धन का वर्तमान विद्यालयों को गैर–सहायता मान्यताप्राप्त विद्यालयों के रूप में कम से कम 33 वर्ष की अवधि के लिए संचालित करने का कानूनी दायित्व होगा। इस सम्बन्ध में, प्रबंधन फार्म– IV में विधिवत पंजीकृत तथा अभिप्रमाणित क्षतिपूर्ति/सुरक्षा बांड सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(iii) सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धन, क्षतिपूर्ति/सुरक्षा बांड में प्रतिबद्ध होंगे कि वे मौजूदा छात्रों के सम्बन्ध में उनकी फीस उनके स्कूल पूरा होने पर छोड़ने तक इस आधार पर नहीं बढाएंगे कि उनके एक या उससे अधिक कर्मचारी, इन नियमों के लागू होने पर विद्यालय छोड़ कर चले गए हैं। विद्यमान विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धन को शिक्षा का माध्यम तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता को भी परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) किसी सहायता प्राप्त विद्यालय के सभी अथवा कुछ स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इन नियमों के अधीन राज्य स्वैच्छिक शिक्षा सेवा में की जाती है तो उनके अधिग्रहण के उपरान्त, यदि उन विद्यालयों की प्रबन्धन, विद्यालय की भूमि तथा भवन का गैर–शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से उपयोग करते है तो उस स्थिति में प्रत्येक उल्लघंना के लिए बतौर जुर्माना एक लाख रूपये लगाया जाएगा, एन0ओ0सी0 को वापस लेने के साथ–साथ चूककर्ता विद्यालयों की मान्यता वापिस ले ली जाएगी, अथवा भूमि तथा परिसपंत्तियों के गैर शैक्षणिक उदेश्यों के लिए गम्भीर पथांतरण की अवस्था में सरकार द्वारा विद्यालय का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

शिकायतों के निवारण के लिए समितियों का गठन।

7. विद्यार्थियों तथा उनके माता–पिता द्वारा दायर की जाने वाली किन्हीं शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी जिसमें सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष होंगे, एक स्थानीय खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य के रूप में सम्बन्धित सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इस सम्बन्ध में चूककर्ता विद्यालयों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए इस सम्बन्ध में समिति प्रत्येक वर्ष एक समेकित रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करेंगी।

छूट की शक्तियां।

8. जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारण लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी श्रेणी या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों में ढ़ील दे सकती है।

शंकाओं को दूर करना।

9. जहाँ इन नियमों के उपबन्धों के किसी निर्बचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

अनुसूची

(देखिए नियम–3)

क्रम संख्या	पद का नाम/जिससे नियुक्त किया जाना है	वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2016 के अनुसार नये वेतनमान
1.	प्राचार्य	15600–39100+ग्रेड पे 6000	अनुसूची 1 के वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल.11
2.	मुख्यध्यापक उच्च विद्यालय	9300–34800+ग्रेड पे 5400	अनुसूची 1 के वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 10
3.	विभिन्न विषयों के पी.जी.टी./प्राध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4800	अनुसूची 1 के वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 8
4.	विभिन्न विषयों के टी.जी.टी./मास्टर,	9300–34800+ग्रेड पे 4600	अनुसूची 1 के वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 7
	सी. एण्ड वी. अध्यापक		
5.	हिन्दी अध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4600	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 7
6.	संस्कृत अध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4600	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 7
7.	पंजाबी अध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4600	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 7
8.	उर्दू अध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4600	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 7
9.	आर्ट एण्ड क्राफ्ट (ड्राईंग) अध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4200	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 6
10.	तैराकी प्रशिक्षक	9300–34800+ग्रेड पे 4200	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 6
11.	कटाई और सिलाई अध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4200	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 6
12.	पी.टी.आई. अध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4200	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 6
13.	जे.बी.टी. अध्यापक	9300–34800+ग्रेड पे 4200	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 6
14.	लिपिक	5200–20200+ग्रेड पे 1900	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. 2
15.	प्रयोगशाला परिचारक	4440–7440+ग्रेड पे 1300	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. डी.एल."
16.	सेवादार	4440–7440+ग्रेड पे 1300	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. डी.एल."
17.	फराश	4440–7440+ग्रेड पे 1300	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. डी.एल."
18.	सफाई मजदूर	4440–7440+ग्रेड पे 1300	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. डी.एल."
19.	पानी वाला या पानी वाली	4440–7440+ग्रेड पे 1300	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. डी.एल."
20.	चौकीदार	4440–7440+ग्रेड पे 1300	अनुसूची 1 का वेतन मैट्रिक्स का एफ.पी.एल. डी.एल."

फार्म–I

[देखिए नियम–4 (1)]

हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र।

सेवा में,

अध्यक्ष / प्रबंधक

————— (संस्था का नाम)

मैं———— (पूरा नाम), पुत्र / पुत्री / पत्नी ————आयु———— (वर्ष) ———— के पद पर ————— (स्कूल का नाम), हरियाणा स्वैच्छिक शिक्षा सेवा के नियम के निबन्धन तथा शर्तों अनुसार नियुक्ति हेतु विचारे जाने का इच्छुक हूं। मेरा विवरण निम्नानुसार हैः–

1. जन्मतिथि————
2. विद्यालय का नाम————
3. स्वीकृति प्राप्त पद का नाम————
4. स्वीकृति पद पर नियुक्ति की तिथि ————
5. विद्यमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन————
6. विद्यमान वेतन ग्रेड वेतन सहित————
7. पता————
8. निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत् अभिप्रमाणित एक उपक्रम / शपथ पत्र इसके साथ सलंग्न है।

मेरा आवेदन पत्र उपरोक्त तथ्यों को सत्यापित करने के बाद सम्बन्धित सेवा नियमों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित कर दिया जाए।

हस्ताक्षर

(पूरा नाम————)

प्रारूप–II

{देखिए नियम–4 (2)}

सहायता प्राप्त विद्यालय के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा सत्यापन

मैं———— (पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी ———— (सहायता प्राप्त विद्यालय का नाम) में सचिव के पद पर कार्यरत इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ:–

(i) यह कि यह आवेदन पत्र मेरे कार्यालय में दिनांक ——— को प्राप्त हुआ है।

(ii) यह कि इस आवेदन पत्र में उपरोक्त वर्णित तथ्य कार्यालय रिकार्ड के आधार पर सही तथा सत्य हैं।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित किये जा रहे है:–

(i) सेवापंजिका

(ii) वैयक्तिक फाइल

(iii) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र

(iv) नियमों के खण्ड 6 के अधीन वचन बद्धता/शपथ पत्र

स्थान: ————

दिनांक:————

(हस्ताक्षर)

(पूरा नाम ———)

कार्यालय मोहर

फार्म –III

[देखिए नियम–5 (9)]

शपथ पत्र

मैं, ——————(पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी —————— आयु —————— (वर्ष) —————— (सहायता प्राप्त विद्यालय का नाम), में —————— के पद पर कार्यरत, हरियाणा राज्य स्वैच्छिक शिक्षा सेवा नियम, 2017 के विभिन्न खण्डों को पढ़ने और समझने के बाद, जोकि सहायताप्राप्त विद्यालयों के स्वीकृत/सहायता प्राप्त कर्मचारियों को अधिग्रहण करने के लिए है, जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है। मैं इसके द्वारा वचनबद्ध तथा कथन करता हूँ:–

1. यह कि जिस पद पर मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, स्वीकृत तथा सहायता प्राप्त पद है।
2. यह कि मैं इन नियमों में वर्णित सेवा शर्तों के अनुसार सरकारी सेवा में नियुक्ति का इच्छुक हूँ तथा मैं यह घोषणा करता हूँ कि उक्त नियमों में वर्णित सभी शर्तों का पालन करूंगा।
3. यह कि मैं नियमित आधार पर, पद के न्यूनतम वेतन–बैण्ड तथा ग्रेड–वेतन में नवनियुक्ति का इच्छुक हूँ, बशर्तें कि मेरा वेतन व्यक्तिगत उपाय के रूप में संरक्षित किया जायेगा। मैं मेरी सेवा में नियुक्ति से पूर्व में सहायता प्राप्त विद्यालयों में की गई सेवा के बदले में वरिष्ठता, पैंशनरी तथा अवकाश का लाभ सरकार से क्लेम नहीं करूंगा। इस प्रकार, मैं इन नियमों के अनुसार जो वेतन निर्धारित किया जाएगा, उसे स्वीकार करने के लिए सहमत हूँ।
4. यह कि मैं मेरी सेवाएं अधिग्रहित होने उपरान्त, सहायता प्राप्त स्कूल में की गई पूर्व सेवा के लाभ का किसी भी प्रकार से क्लेम नहीं करूंगा।
5. यह कि मेरी सेवा में अधिग्रहित होने उपरान्त, मैं पूरे हरियाणा में कहीं पर भी विद्यालय शिक्षा विभाग की आवश्यकता अनुसार सेवा करने का इच्छुक हूँ।
6. यह कि मैं इन सेवा नियमों के अधीन सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने पर, पूर्व की किसी भी प्रकार की जिम्मेवारियां जिसमें वेतन का एरियर, सलेक्शन ग्रेड, ए0सी0पी0 इत्यादि शामिल है, का कोई भी क्लेम नहीं करूंगा।
7. यह कि यदि मेरी सरकारी सेवा में कार्यग्रहण की तिथि से पूर्व की अवधि की, सहायता प्राप्त स्कूल द्वारा अंशदायी भविष्यनिधि अंशदान की राशि जमा नही करवाई गई है, तो मैं इसका सरकार से कोई क्लेम नहीं करूंगा।

स्थान——————

(हस्ताक्षर)

दिनॉक——————

(पूरा नाम ———)

फार्म – IV

{देखिए नियम–6 (2)}

क्षतिपूर्ति / सुरक्षा बान्ड

मैं,————————(पूरा नाम), बेटा / बेटी / की पत्नी——————— उम्र——— (वर्ष) प्रबंधक / अध्यक्ष ——————— (सहायता प्राप्त विद्यालय का नाम), हरियाणा राज्य स्वैच्छिक शिक्षा सेवा नियम, 2017 के विभिन्न खण्डों को पढ़ने और समझने के बाद जोकि सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्वीकृत / सहायता प्राप्त पदों के विरुद्ध कार्यरत स्टाफ को अधिग्रहण करने के लिए है, जिनको कथित नियमों में निर्दिष्ट किया गया है। मैं इसके द्वारा शपथपूर्वक कथन करता हूँ:–

1. यह कि हमारे विद्यालय की प्रबंधन का वर्तमान विद्यालयों को गैर–सहायता मान्यताप्राप्त विद्यालयों के रूप में कम से कम 33 वर्ष की अवधि के लिए संचालन करने के सांविधिक दायित्व के अधीन होगा।
2. यह कि हमारे विद्यालय का प्रबन्धन यह आश्वासन देता है कि इन नियमों के लागू होने उपरान्त, वे मौजूदा छात्रों के सम्बन्ध में उनकी फीस उनके स्कूल पूरा होने पर छोड़ने तक इस आधार पर नहीं बढांएगें कि उनके एक या उससे अधिक कर्मचारी इन नियमों के लागू होने पर विद्यालय छोड़ कर चले गए हैं।
3. यह कि विद्यमान विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रबंधन, शिक्षा का माध्यम तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता को परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन नहीं करेगा।
4. यह कि यदि हमारे विद्यालय के सभी अथवा कुछ स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इन नियमों के तहत राज्य स्वैच्छिक शिक्षा सेवा में की जाती है तो उनके अधिग्रहण के उपरान्त, यदि हमारे विद्यालय की प्रबन्धन, विद्यालय की भूमि तथा भवन का गैर–शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से उपयोग करती है तो उस स्थिति में नियमों की प्रत्येक सुक्ष्म उल्लघंना के लिए जुर्माना एक लाख रूपये लगा दिया जाए, एन0ओ0सी0 को वापस लेने के साथ–साथ हमारे विद्यालय की मान्यता वापिस ले ली जाए, अथवा भूमि तथा परिसपंत्तियों के गैर शैक्षणिक उददेश्यों के लिए गम्भीर पथांतरण की अवस्था में सरकार द्वारा हमारे विद्यालय का अधिग्रहण कर लिया जाए।

दिनांक——— **(हस्ताक्षर)**

स्थान——— **(पूरा नाम ———)**

(पद एवं विद्यालय की मोहर)

पी० के० दास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग,
चण्डीगढ़।